राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – सुमन देवी II, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 82 / 2019 GCMS No. 2019/00772

1. नरेश कुमार पुत्र छोटेलाल
2. विक्रम सिंह पुत्र छोटेलाल
3. सुरेश कुमार पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी घसेडा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

..............वादीगण

बनाम

1. भरत सिंह पुत्र रामजीलाल
2. महिपाल पुत्र रामजीलाल
3. रणसिंह पुत्र रामजीलाल
4. शिशराम पुत्र रामजीलाल
5. हरलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बृजपुरा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
6. रतन पुत्री रामजीलाल पत्नी पृथ्वी जाति जाट निवासी सागरपुर इमराड़ा तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
7. रेशम पुत्री रामजीलाल पत्नी अमर सिंह जाति जाट निवासी सागरपुर इमराड़ा तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
8. राजेश पुत्री रामजीलाल पत्नी धुप सिंह जाति जाट निवासी जाट दुलोठ तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
9. शारदा देवी पत्नी शेरसिंह जाति अहीर निवासी घसेडा तहसील बुहाना
10. बैंक ऑफ राजस्थान लि0 शाखा भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

..............प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 25/6/25

वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना [illegible] राज0 में स्थित भूमि हाल ख0 न0 247 रकबा 2.57 है0, ख0 न0 255 रकबा 0.94 [illegible] ख0 न0 256 रकबा 1.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.87 है0, में वादी [illegible] हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1 / 12 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1 / 12 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 8 प्रत्येक का 1 / 32, 1 / 32 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] का 1 / 2 हिस्सा है जो [illegible] जमाबन्दी संम्वत 2075 से 2078 में दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

2. यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि को कास्त करते आ रहे है तथा शान्तिपूर्वक बाहमी बटवारे के अनुसार काबिज कास्त है लेकिन प्रतिवादी संख्य 1 लगायत 9 वादीगण के साथ उनके कब्जे कास्त में दखलंदाजी करते है जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को अपने अपने हिस्से व बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 9 ने मना कर दिया। तथा 15 दिन पूर्व जब वादीगण अपने हिस्से की जुताई करवाने हेतु गये तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने दखलदांजी पैदा कि।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). यह कि ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 120 के ख0 न0 247 रकबा 2.57 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.94 है0 ख0 न0 256 रकबा 1.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.87 है0 में वादीगण के हिस्से की भूमि प्रत्येक के 1/12, 1/12, 1/12 भाग का खाता विभाजन करते हुए राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किये जावे तथा लगान भी अलग से निर्धारित किया जावे।

(ख). कि प्रति0 स0 1 ल0 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि को कास्त करने में किसी प्रकार की दखल अंदाजी पैदा ना करे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एड. द्वारा जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.01.2021 को अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 351 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1620 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 जबाव मय प्रतिदावा पेश किया है कि ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि जमाबन्दी संम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 247 रकबा 2.57 है. खसरा नम्बर 255 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 256 रकबा 1.36 है. किता 3 कुल रकबा 4.87 है. भूमि वादीगण व प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादीगण के 8/36 (1/4 भाग) का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से [illegible] का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें निवेदन किया कि दिनांक 29.08.2022 को दावा प्राथमिक डिक्री किया लेकिन न्यायालय द्वारा सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का प्रतिदावा का रिलिफ खाता विभाजन छुट गया अतः प्रतिवादी का हिस्सा भी विभाजित करते हुए संशोधित प्राथमिक डिक्री की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 120 में वादीगण व प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 120 के ख0 न0 247 रकबा 2.57 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.94 है0 ख0 न0 256 रकबा 1.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.87 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:37 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–82 / 2019 जीसीएमएस वाद संख्या : **2019 / 00772**

नरेश कुमार **बनाम** भरत सिंह आदि

दावा खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की और से श्री मुकेश चौधरी एड. की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 120 के ख0 न0 247 रकबा 2.57 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.94 है0 ख0 न0 256 रकबा 1.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.87 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)